

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

/// आदेश ///

क्रमांक / 2163 / एस.डब्ल्यू. / 2020

सिवनी, दिनांक 21/03/2020

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर में कोरोना के चार प्रकरण पॉजिटिव मिले हैं, जिले से प्रतिदिन बड़ी भारी संख्या में लोग जबलपुर आना जाना करते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिवनी निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से आदेशित करता हूँ -


1. जिले में तत्काल प्रभाव से टोटल लाक डाउन घोषित किया जाता है, टोल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
2. जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।
3. जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे।
5. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते हैं।

## उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे :-

1. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई-कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
2. घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
3. अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खुली रहेगी।

**प्रतिबंध से मुक्ति एवं पास हेतु अनुमति की प्रक्रिया** - प्रतिबंध से अनुमति एवं पास के आवेदन केवल वाट्सएप और ई-मेल से प्राप्त किए जायेंगे, आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक dmseoni09@gmail.com पर करें। अनुमति वाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से ही जारी की जायेगी।

यह आदेश 21/03/2020 की दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 23/03/2020 की प्रातः 06 बजे तक लागू रहेगा।


  
(प्रवीण सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
सिवनी

सिवनी, दिनांक 21/03/2020

पृ. क्रमांक / 2163-A / एस.डब्ल्यू. / 2020  
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि, संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुए आदेश/निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर/कुरई
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी/बरघाट/लखनादौन
7. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
8. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला सिवनी को पुलिस अधीक्षक सिवनी के माध्यम से पालनार्थ, आपके थाना क्षेत्रांतर्गत आदेश का अक्षरशः पालन हेतु।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
सिवनी